11/6/18

पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई।
वकुलाद उपस्थित। तह० कानूनगो से
कुर्रा रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिस पर
वकुलाद पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं
है। अतः दावा वादी मुताबिक कुर्रा
रिपोर्ट डिक्री किया जाता है विस्तृत
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
प्र०मि० किया गया। पश्चात डिक्री जारी
हो पत्रावली के सलग्न शुमार होकर निजाम
से कंप हो मुकम्मल।

S.D.O.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/235/17

बउनवान

1. भरोसी उर्फ रामभरोसी पुत्र नानगा जाति माली निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर

—— वादी

बनाम

1. मोहरसिंह पुत्र दयालूराम जाति माली निवासी सौंखर
2. प्रेम पुत्र नानगा जाति माली निवासी सौंखर
3. कमला पुत्री नानगा जाति माली निवासी सौंखर
4. एक्सिस बेंक खेरली जरिये प्रबन्धक
5. तहसीलदार कठूमर वहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा तकसीम वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :

श्री नीरज अवस्थी ':– अधिवक्ता वादी

श्री राजेशकुमार, अवस्थी

श्री बलवीरसिंह चौधरी अधिवक्तागण:: प्रति0सं0 2–3

श्री जितेन्द्र गर्ग अधिवक्ता प्रति0सं01

निर्णय

दिनांक 29.05.2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1887 रकवा 0.23 हे. ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में स्थित है।मुताविक घरू वंटवारा तर्फ पश्चिम में 1/2 हिस्से को वादी एंव तर्फ पूर्व के 1/2 हिस्से को प्रतिवादी संख्या प्रंतिवादी संख्या 2–3 के नाम तकसीम कर अलग अलग खाता खोज दिया जावे। हम इसी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

अनुसार अपने अपने हक हिस्सा की आराजी पर काविज है। राजस्व रेकार्ड में अभी शामलात खातेदारी में चल रही है। उक्त आराजी का उक्तानुसार तकसीम कर अलग अलग राजस्व रेकार्ड में खाते कायम कर दिये जावे। वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी वावत उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता कायम कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। प्रतिवादीगण वादी के हक हिस्सा में आई आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है। वादी ने प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई प्रतिवादी संख्या 1 ला0 3 ने मय अधिवक्ता हाजिर होकर विवादित आराजी के कानूनी तकासमा कराने की सहमति दी है।

वादी ने अपने दावा के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 वाके ग्राम सौंखर की सत्यप्रतिलिपी पेश की है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराने को सहमत है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाह का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण की वहस पर मनन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी वादी एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी पर शामलात कब्जे काश्त का अनुमान किया जाता है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन करने पर दावा वादी सावित होने से प्रारम्भिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

आदेश

अतः दावा वादी वावत आराजी खसरा नम्बर नम्बर नम्बर 1887 रकवा 0.23 हे. ग्राम सौंखर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते हे कि वो उक्त आराजी पर मौके पर पहुॅच कर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी वुरी में से वुरी आराजी का नियमानुसार तकासमा (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर न्यायालय में पेश करें ताकि वाद अंतिम रूप डिक्री किया जा सके।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 29.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner